

दूरभाष: 26175176

फैक्स: 26162093

संख्या-15/2/2018/उ.नि.(परीक्षा)/1434-1684

भारत सरकार

गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग

हिंदी शिक्षण योजना

उप निदेशक (परीक्षा) का कार्यालय

पूर्वी खंड-7, तल-6, रामकृष्णपुरम,

नई दिल्ली-110066

दिनांक: 1/8/18

सेवा में

निदेशक/संयुक्त निदेशक/सभी उप निदेशक/सर्वकार्यभारी अधिकारी,

हिंदी शिक्षण योजना/पत्राचार पाठ्यक्रम स्कंध, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान/

केंद्रीय हिंदी निदेशालय, सभी नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों के अध्यक्ष

विषय:- नवम्बर, 2018 में आयोजित की जाने वाली हिंदी प्रवीण/प्राज्ञ/प्राज्ञ बैंकिंग/पारंगत/प्रबोध परीक्षाओं

का कार्यक्रम/समय सारणी का विवरण

महोदय/महोदया,

राजभाषा विभाग के अंतर्गत आयोजित होने वाली हिंदी प्रवीण/प्राज्ञ/प्राज्ञ बैंकिंग, पारंगत तथा प्रबोध की परीक्षाएँ विभाग के परीक्षा स्कंध द्वारा प्रति वर्ष नवम्बर माह में आयोजित की जा रही हैं। इन परीक्षाओं के आयोजन के लिए अखिल भारतीय स्तर पर परीक्षा केंद्र स्थापित किए जाते हैं। प्रत्येक सत्र में इन परीक्षाओं में भाग लेने वाले नियमित/प्राइवेट/पत्राचार के परीक्षार्थियों के परीक्षा परिणाम परीक्षा समाप्त होने के एक माह के अंदर घोषित किए जाते हैं।

नवम्बर, 2018 में आयोजित होने वाली हिंदी भाषा परीक्षा के संबंध में सूचित करना है कि राजभाषा विभाग के मार्गदर्शन में प्रशिक्षण व्यवस्था में पारदर्शिता लाने एवं उसकी मॉनीटरिंग को चुस्त बनाने के लिए 'हिंदी भाषा/हिंदी शब्द संसाधन/टंकण एवं हिंदी आशुलिपि प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु प्रणाली' तैयार की गई है। जनवरी, 2018 से परीक्षा व्यवस्था इससे जोड़ दी गई है। अतः सभी क्षेत्रीय उप निदेशक केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान के दिनांक 10 जनवरी, 2018 के प0सं0-12/6/2016-हि.शिं.यो.(मु0)/127 के अनुसार नवंबर, 2018 की परीक्षा का कार्यक्रम निम्नवत करना सुनिश्चित करें:-

1. विभिन्न प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के प्रशिक्षार्थियों का पंजीकरण हिंदी प्राध्यापकों द्वारा ऑनलाइन प्रणाली में भरा जाए। तत्पश्चात उसे क्षेत्रीय उप निदेशकों के माध्यम से परीक्षा शाखा में भेजा जाए। मैन्युअल परीक्षा फार्म अब परीक्षा शाखा द्वारा स्वीकार नहीं किए जाएंगे। केवल उन्हीं कर्मिकों की परीक्षा होगी जिनका विवरण प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु प्रणाली पर भरा जाएगा।
2. सभी क्षेत्रीय उप निदेशक एवं उनके सहयोगी सहायक निदेशक स्वयं इसकी मॉनीटरिंग करके यह सुनिश्चित करें कि उनके अधीनस्थ प्रत्येक प्राध्यापक द्वारा पूरा डाटा उक्त प्रणाली में सही भरा गया है।
3. प्रणाली के अंतर्गत हिंदी प्राध्यापकों द्वारा प्रशिक्षार्थियों के पंजीकरण की अंतिम तिथि जुलाई-नवम्बर सत्र में 31.8.2018 तथा क्षेत्रीय उप निदेशकों द्वारा उक्त पंजीकरण को प्रमाणित करने की अंतिम तिथि 12.9.2018 निर्धारित की गई है। अंतिम तिथि निकल जाने के बाद किसी भी प्रशिक्षार्थी का विवरण नहीं भरा जा सकेगा और इसकी जिम्मेदारी संबंधित हिंदी प्राध्यापक तथा उनकी मॉनीटरिंग करने वाले अधिकारियों की होगी।

क्षेत्रीय उपनिदेशकों के कार्यालयों का पता एवं ई मेल आई.डी. निम्नवत है :-

- (1) उप निदेशक (मध्योत्तर)  
हिंदी शिक्षण योजना,  
पूर्वी खंड-7, तल-6,  
रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली-110066  
ddhts-nc-dol@nic.in  
दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, जम्मू  
कश्मीर, मध्य प्रदेश, उत्तरप्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तरांचल तथा  
चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश में स्थित कार्यालयों के लिए
- (2) उप निदेशक (दक्षिण)  
हिंदी शिक्षण योजना,  
ई-3, सी ब्लॉक, राजाजी भवन,  
बेसन्ट नगर, चेन्नै-600090  
ddhts-south-dol@nic.in  
तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल तथा पांडिचेरी केंद्र शासित  
प्रदेश में स्थित कार्यालयों के लिए
- (3) उप निदेशक (पूर्व)  
हिंदी शिक्षण योजना,  
18वां तल, निजाम पैलेस परिसर,  
234/4, आचार्य जगदीश चंद्र बोस रोड,  
कोलकाता-700020  
ddhts-east-dol@nic.in  
पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार, झारखंड एवं अंडमान-निकोबार  
केंद्र शासित प्रदेश में स्थित कार्यालयों के लिए
- (4) उप निदेशक (पश्चिम)  
हिंदी शिक्षण योजना,  
केंद्रीय सदन, सी. विंग, छठा माला,  
सी.बी.डी., बेलापुर, नवी मुंबई-400614  
ddhts-west-dol@nic.in  
महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, गोवा, दमन दीव एवं दादरानगर  
हवेली केंद्र शासित प्रदेश में स्थित कार्यालयों के लिए
- (5) उप निदेशक (पूर्वोत्तर)  
हिंदी शिक्षण योजना,  
पू.सी.रेलवे मुख्यालय,  
मालीगांव, गुवाहाटी-II (असम)  
htsgy@gmail.com  
असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय,  
नागालैंड, सिक्किम तथा त्रिपुरा राज्यों में स्थित  
कार्यालयों के लिए
- (6) प्रभारी सहायक निदेशक  
(पत्राचार पाठ्यक्रम)  
केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान,  
राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय,  
2-ए, पृथ्वीराज रोड,  
नई दिल्ली-110011  
adppracharchti-dol@nic.in  
केवल मई की परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए  
नवंबर में केवल पूरक परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए
- (7) उप निदेशक (पत्राचार पाठ्यक्रम)  
केंद्रीय हिंदी निदेशालय,  
(मानव संसाधन विकास मंत्रालय)  
पश्चिमी खंड-7, आर.के.पुरम,  
नई दिल्ली-110066  
केवल नवंबर की परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए  
मई में केवल पूरक परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए

4. हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत ऑनलाइन परीक्षाएं भी आयोजित की जा रही हैं । हिंदी शिक्षण योजना की ऑनलाइन परीक्षाओं का पंजीकरण करते समय परीक्षा का माध्यम ऑन-लाइन दें ।
5. नियमानुसार परीक्षार्थी के परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए प्रत्येक प्रश्न-पत्र एवं आंतरिक मूल्यांकन/मौखिक परीक्षा में न्यूनतम 35 अंक अथवा उससे अधिक होना अनिवार्य है । किसी एक प्रश्न पत्र में 35 से कम अंक प्राप्त करने वाले परीक्षार्थी को पूरक घोषित किया जाएगा ।
6. हिंदी भाषा के पांच दिवसीय कक्षा में पढ़ाई के अल्पावधि प्रशिक्षण कार्यक्रम (Validation Course) के प्रशिक्षार्थियों का पंजीकरण भी क्षेत्रीय उप निदेशकों के माध्यम से किया जाए और उप निदेशक (परीक्षा)को ई मेल द्वारा सूचित किया जाए ।
7. प्रशिक्षार्थियों के परीक्षा केंद्र परिवर्तन संबंधी कार्रवाई क्षेत्रीय उप निदेशकों के माध्यम से की जाएगी जिसकी सूचना क्षेत्रीय उप निदेशकों द्वारा परीक्षा शाखा को ई मेल द्वारा दी जाए क्योंकि केंद्र परिवर्तन हेतु नया प्रवेश पत्र जारी किया जाएगा । उक्त प्रक्रिया हेतु प्रशिक्षार्थियों को परीक्षा की निर्धारित तिथि से 15 दिन पूर्व आवेदन करना होगा । उसके पश्चात केंद्र परिवर्तन हेतु दिए गए आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा ।
8. हिंदी प्राध्यापकों द्वारा प्रणाली के अंतर्गत प्रशिक्षार्थियों का परीक्षा शुल्क का विवरण भरने के पश्चात् ही उप निदेशक (परीक्षा) द्वारा परीक्षा प्रवेश पत्र जारी किए जा सकेंगे ।
9. सहायक निदेशक/हिंदी प्राध्यापक प्रवेश-पत्र परीक्षा से पूर्व प्राणाली के माध्यम से स्वयं निकाल सकेंगे ।
10. केंद्रीय सरकार के कार्मिकों के लिए प्रवीण, प्राज्ञ, प्राज्ञ बैंकिंग, पारंगत एवं प्रबोध परीक्षाओं के लिए कोई परीक्षा शुल्क देय नहीं है । भारत सरकार के नियंत्रणाधीन उपक्रमों/निगमों, राष्ट्रीयकृत बैंकों/निकायों आदि के सभी कार्मिकों के लिए प्रवीण, प्राज्ञ, प्राज्ञ बैंकिंग एवं प्रबोध हेतु रु.100/- परीक्षा शुल्क देय है । पारंगत परीक्षा के लिए कोई परीक्षा शुल्क देय नहीं है ।
11. परीक्षा शुल्क का भुगतान डिमांड ड्राफ्ट उप निदेशक(परीक्षा), हिंदी शिक्षण योजना, नई दिल्ली के नाम देय होगा । डिमांड ड्राफ्ट का विवरण भी Online प्रणाली में भरा जाएगा तथा परीक्षा स्कंध द्वारा स्वीकृत किया जाएगा अन्यथा उनके प्रवेश-पत्र नहीं निकाले जा सकेंगे । **परीक्षा शुल्क भारतीय स्टेट बैंक की website [www.onlinesbi.com](http://www.onlinesbi.com) पर निम्नलिखित स्टैप्स अपनाते हुए ऑनलाइन भी जमा करवाया जा सकता है ।**

**ऑनलाइन फीस जमा करने के स्टैप्स :-**

1. सबसे पहले State Bank of India की website [www.onlinesbi.com](http://www.onlinesbi.com) में State Bank Collect नामक उपशीर्षक पर जाएँ।

या

State Bank of India की website [www.onlinesbi.com](http://www.onlinesbi.com) पर मुख्य शीर्षक State Bank of India पर क्लिक करने पर State Bank Collect नामक उपशीर्षक पर क्लिक करें एवं सभी शर्तों को स्वीकार करते हुए Proceed करें।

2. State Bank Collect पेज पर State of Corporate/Institution में All India Select करें तत्पश्चात् Type of Corporate/Institution में Govt. Department Select करें एवं GO को क्लिक करें ।

3. Govt. Department Name में HINDI TEACHING SCHEME, DEPT. OF OFFICIAL LANGUAGE MHA को SUBMIT करें ।

4. Select Payment Category में Hindi Teaching Scheme Select करें । Select करते ही एक फार्म खुल जाएगा ।

5. इस फार्म को भरने के पश्चात Submit करें । Submit करने के बाद अपने भरे हुए विवरण को Confirm कर Payment करें ।

6. Payment करने के बाद Receipt के प्रिंट की फोटो प्रति उप निदेशक (परीक्षा) का कार्यालय, हिंदी शिक्षण योजना, पूर्वी खंड-7, तल-6, रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली-110066 को भेजें।

(ऑनलाइन द्वारा भुगतान की गई राशि की पावती रसीद उप निदेशक(परीक्षा), हिंदी शिक्षण योजना, नई दिल्ली कार्यालय में भेजना अनिवार्य है।)

नवम्बर, 2018 परीक्षाओं की समय-सारणी

परीक्षा	प्रश्न-पत्र	दिन	दिनांक	समय
प्रवीण	प्रथम	शनिवार	10.11.2018	10.00 से 1.00 बजे तक
प्रवीण	द्वितीय	शनिवार	10.11.2018	02.00 से 5.00 बजे तक
प्रवीण	मौखिक	रविवार	11.11.2018	10.00 से 5.00 बजे तक
प्राज्ञ/बैंकिंग	प्रथम	रविवार	11.11.2018	10.00 से 1.00 बजे तक
प्राज्ञ/बैंकिंग	द्वितीय	रविवार	11.11.2018	02.00 से 5.00 बजे तक
प्राज्ञ/बैंकिंग	मौखिक	सोमवार	12.11.2018	10.00 से 5.00 बजे तक
पारंगत	प्रथम	शनिवार	17.11.2018	10.00 से 1.00 बजे तक
पारंगत	द्वितीय	शनिवार	17.11.2018	02.00 से 5.00 बजे तक
प्रबोध	प्रथम	रविवार	18.11.2018	10.00 से 1.00 बजे तक
प्रबोध	द्वितीय	रविवार	18.11.2018	02.00 से 5.00 बजे तक
प्रबोध	मौखिक	सोमवार	19.11.2018	10.00 से 5.00 बजे तक


B111  
B111  
B111  
B112, 28  
B112, 28  
B112, 28  
B113  
B113  
B110  
B110  
B110

12. प्रणाली के अंतर्गत सहायक निदेशक/हिंदी प्राध्यापक द्वारा केंद्र अधीक्षक संबंधी पूर्ण जानकारी भरी जाएगी । सहायक निदेशक/हिंदी प्राध्यापक यह सुनिश्चित करें कि केंद्र अधीक्षक राजपत्रित अधिकारी हों, उसी शहर में कार्यरत हों तथा परीक्षा के दिनों में उनके स्थानांतरण/अवकाश पर जाने

की संभावना न हो। उपक्रमों/निगमों के अधिकारियों को भी परीक्षा केंद्र अधीक्षक बनाया जा सकता है। जो कि राजपत्रित अधिकारी के समकक्ष हो।

13. सहायक निदेशक/हिंदी प्राध्यापकों द्वारा केंद्र अधीक्षक का भरा हुआ विवरण क्षेत्रीय उप निदेशकों के माध्यम से उप निदेशक (परीक्षा) को अग्रेषित किया जाए ताकि परीक्षा संबंधी आगामी कार्रवाई (केंद्र अधीक्षक का नियुक्ति पत्र, प्रश्न-पत्र, परीक्षा सामग्री) यथा समय भिजवाई जा सके।
14. कृपया सभी क्षेत्रीय उप निदेशकों/सर्वकार्यभारी अधिकारी परीक्षाओं के संचालन हेतु परीक्षा भवन का किराया (जहां परीक्षा भवन किराए पर लेने की आवश्यकता हो) पारिश्रमिक राशि तथा फुटकर खर्च आदि के लिए अग्रिम राशि की प्राप्ति हेतु प्रस्तावित केंद्र अधीक्षक के बैंक खाता सं. IFSC Code बैंक का नाम आदि विवरण सहित अग्रिम मांग पत्र भी दिनांक 9.9.2018 तक इस कार्यालय को अवश्य भेज दें।
15. परीक्षा से संबंधित बिलों का भुगतान केवल ऑनलाइन माध्यम द्वारा केवल केंद्र अधीक्षक के बैंक खाते में ही किया जाएगा। अतः बिल के साथ केंद्र अधीक्षक के बैंक खाते का विवरण जिसमें उनके बैंक का नाम, शाखा का नाम, खाता संख्या, आई.एफ.सी.कोड(IFSC Code No.) तथा मोबाइल नंबर अनिवार्य रूप से संलग्न कर भेजें ताकि भारत सरकार द्वारा निर्धारित भुगतान प्रक्रिया का पालन हो सके। सुगमता को देखते हुए कैंसिल चैक की एक फोटो प्रति भी भेजी जाए।
- (क) मई, 2018 की परीक्षा में पूरक घोषित हुए परीक्षार्थी नवंबर, 2018 की पूरक परीक्षा में सम्मिलित होंगे लेकिन उनका विस्तृत विवरण प्रणाली में अपलोड नहीं किया जाएगा। पूर्व में जारी पंजीकरण संख्या ही प्रयोग में लानी होगी। मई, 2018 के पूरक परीक्षार्थी अगर नवम्बर परीक्षा में भाग नहीं लेते तो उन्हें बाद में प्राइवेट परीक्षार्थी के रूप में तीनों प्रश्न-पत्रों की परीक्षा देनी होगी जिनका पंजीकरण क्षेत्रीय उप निदेशकों द्वारा किया जाएगा।
- (ख) भारत सरकार के नियंत्रणाधीन उपक्रमों/निगमों/राष्ट्रीयकृत बैंकों/निकायों आदि के पूरक परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों को परीक्षा शुल्क के रूप में 10/- रुपये का बैंक ड्राफ्ट उप निदेशक(परीक्षा), हिंदी शिक्षण योजना, नई दिल्ली के पक्ष में भेजना होगा।
- (ग) पत्राचार के पूरक परीक्षार्थियों के परीक्षा फार्म इस सत्र में मैनुअल ही लिए जाएंगे। जो प्रशिक्षार्थी किसी कारणवश परीक्षा नहीं दे सके अथवा अनुत्तीर्ण हो गए हैं वे आगामी सत्रों की परीक्षाओं में प्राइवेट प्रशिक्षार्थी के रूप में क्षेत्रीय उपनिदेशक के माध्यम से पंजीकरण करवा सकते हैं। ऐसे परीक्षार्थियों को यह जानकारी निश्चित रूप से प्रदान कर दी जाए कि प्राइवेट परीक्षार्थी के रूप में उन्हें मौखिक परीक्षा भी देनी होगी।

भवदीया

  
28-7-18  
(सुमन लाल)

उप निदेशक(परीक्षा)

कोड सं. 1102

टिप्पणी:- कृपया संबंधित कार्यालय अपने कार्यालय की ई मेल भेजने का कष्ट करें ताकि भविष्य में मेल द्वारा पत्राचार किया जा सके।